09-04-19

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी सं० 1,2 व 7 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते। अतः जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस वकील अन्य पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि ख०नं० 1295 रोही चूरू के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा पुष्ट किया जाकर मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि अन्य पक्ष को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अन्य पक्ष को पाबन्द करने में दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. का स्वीकार किया जाकर पत्रावली में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जारी अन्तारिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 19-06-2015 को तक फैसला दावा पुष्ट किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1295 तादादी 13 बीघा 03 बिस्वा रोही कस्बा चूरू के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल दावा सं० 285/2016 के संलग्न रहे।